



Linking Laws

— TANSUKH SIR —

The Bridge Between Law & Success

AIBE PRACTICE MCQs (BNSS, 2023)

**All India Bar Examination
(AIBE – 22)**

*Practice Today
Excel Tomorrow*



Chapter-wise
MCQs



As per Latest
BNSS, 2023



Exam Oriented
& Concept Based



With Explanations
& Key Provisions



*Your Success
Our Mission*



Prepare | Practice | Perform



JODHPUR



AIBE XXII

1. **एक वारंट मामला का अर्थ क्या है?**
 - (a) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मृत्यु, आजीवन कारावास या छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।
 - (b) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मृत्यु, आजीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।
 - (c) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मृत्यु, आजीवन कारावास या पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।
 - (d) एक ऐसे अपराध से संबंधित मामला जिसकी सज़ा मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास है।
2. **असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है, जहाँ:**
 - (a) पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है।
 - (b) पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है।
 - (c) पुलिस अधिकारी जमानत दे सकता है।
 - (d) केवल न्यायालय जमानत दे सकता है।
3. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 (ज) परिभाषित परिवाद निम्नलिखित कैसे अपराध से सम्बन्धित है?**
 - (a) केवल संज्ञेय अपराध से
 - (b) केवल असंज्ञेय अपराध से
 - (c) दोनों (a) और (b) से
 - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
4. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की निम्न धाराओं में से किस धारा में 'संज्ञेय अपराध' को परिभाषित किया गया है?**
 - (a) धारा 2-क में
 - (b) धारा 2-ख में
 - (c) धारा 2-छ में
 - (d) धारा 2-घ में
5. **पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते:**
 - (a) उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का है।
 - (b) उसने जांच में भाग लिया हो।
 - (c) वह पुलिस अधीक्षक के पद पर हो।
 - (d) उसका पद इंस्पेक्टर के पद से नीचे का नहीं हो और उसने अन्वेषण में भाग नहीं लिया हो।
6. **BNSS की किस धारा के तहत सरकार द्वारा सहायक लोक अभियोक्ता की नियुक्ति की जाती है?**
 - (a) धारा 18
 - (b) धारा 19
 - (c) धारा 21
 - (d) धारा 23
7. **बिना वारंट के पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है:**
 - (a) जो व्यक्ति अपने कब्जे में विधिपूर्ण कारण के साथ गृहभेदन में उपयोग किया जा सकने वाला उपकरण रखता है
 - (b) जो व्यक्ति राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका है
 - (c) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुँचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है
 - (d) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी को त्याग देने का उचित संदेह है
8. **नाकों परीक्षण के अन्तर्गत दिये गये कथन की प्रकृति क्या है?**
 - (a) यह एक साक्ष्य नहीं है
 - (b) यह एक वैज्ञानिक साक्ष्य है
 - (c) यह एक मौखिक साक्ष्य है
 - (d) यह एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य है
9. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 128 के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्ति के सदाचार के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधपत्र अधिकतम कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है?**
 - (a) छह माह
 - (b) दो वर्ष
 - (c) एक वर्ष
 - (d) तीन माह
10. **धारा 125 BNSS के अन्तर्गत दोषसिद्धि पर परिशान्ति कायम करने हेतु कौन सक्षम नहीं है।**
 - (a) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 - (b) सेशन न्यायाधीश
 - (c) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 - (d) कार्यपालक मजिस्ट्रेट
11. **मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के लागू होने के बाद, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144 के तहत मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण देने का क्षेत्राधिकार:**
 - (a) प्रतिधारित कर लिया गया है
 - (b) समाप्त कर दिया गया है।
 - (c) सीमित कर दिया गया है।
 - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
12. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की निम्न किस धारा के अन्तर्गत भरण-पोषण के लिये दिये जाने वाले मासिक भत्ते या अन्तरिम मासिक भत्ते में बदलाव किया जा सकता है?**
 - (a) धारा 144 में
 - (b) धारा 145 में
 - (c) धारा 146 में
 - (d) धारा 147 में
13. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 के तहत अन्वेषण पूरा होने पर तैयार की गई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है?**
 - (a) पॉलिसी डायरी
 - (b) केस डायरी
 - (c) आरोप पत्र
 - (d) परिवाद
14. **'वह कौनसी अधिकतम अवधि जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा?**
 - (a) 24 घंटे से अनधिक
 - (b) 3 दिनों से अनधिक
 - (c) 7 दिनों से अनधिक
 - (d) 15 दिनों से अनधिक



15. अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले को सेशन सुपुर्द करते समय अभिरक्षा में चल रहे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट कितनी अवधि तक के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा?
- 15 दिन की अवधि के लिए
 - सेशन न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए जाने की तिथि तक के लिए
 - विचारण के दौरान और समाप्त होने तक के लिए
 - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 167 में वर्णित 60 या 90 दिन, जैसा भी मामला हो, में से शेष बची अवधि तक के लिए
16. "आरोप" के संदर्भ में, कौन सा कथन सही है/हैं?
- 1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होता है जिसका अभियुक्त पर आरोप हो सकता है।
 - 2) यदि एक ही संव्यवहार के क्रम में, एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है।
- नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए:
- 1 केवल
 - 2 केवल
 - 1 और 2 दोनों
 - ना तो 1 ना ही 2
17. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा सेशन न्यायालयों को अपराधों को, आरम्भिक अधिकारिता के रूप में संज्ञान लेने से रोकती है जब तक कि मामले को किसी मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा न गया हो ?
- धारा 213
 - धारा 214
 - धारा 215
 - धारा 217
18. सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कीधाराओं में उपबंधित है-
- धारा 285 से 288 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
 - धारा 261 से 273 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
 - धारा 274 से 304 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
 - धारा 248 से 260 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
19. समन मामले का वारंट मामले में परिवर्तन करने की शक्ति BNSS के किस प्रावधान में है।
- धारा 339
 - धारा 282
 - धारा 338
 - धारा 361
20. ऐसे मामले में, जहां अभियुक्त अभिरक्षा में है, विचारण न्यायालय साक्ष्य लेखबद्ध करते समय, अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित किये बिना साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध करता है, निम्न में से कौनसा कथन सही होगा?
- धारा 308(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार पर ऐसी कार्यवाहियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दूषित होगा।
 - धारा 506 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार पर ऐसी कार्यवाहियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संरक्षित होगा।

- धारा 511 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार पर ऐसी कार्यवाहियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संरक्षित होगा।
 - धारा 355 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार पर ऐसी कार्यवाहियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संरक्षित होगा।
21. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत निम्न में से किसे न्यायालय की भाषा के सन्दर्भ में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गयी है ?
- राज्य सरकार
 - राज्यपाल
 - उच्च न्यायालय
 - जिला आपराधिक न्यायालय
22. जब कोई व्यक्ति न्यायालय में प्रश्न का उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से मना कर देता है, तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 388 में कितने कारावास का दण्ड दिया जा सकता है ?
- 6 मास तक का
 - 1 वर्ष तक का
 - 3 वर्ष तक का
 - 7 दिन तक का
23. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 379 के अन्तर्गत न्यायालय कर सकता है :
- स्व विवेक से आगे बढ़ना
 - स्व विवेक से आगे नहीं बढ़ना
 - किसी अजनबी द्वारा किये गये आवेदन पर आगे बढ़ना
 - एक पक्षकार द्वारा किये गये आवेदन पर आगे बढ़ना
- I और III
 - I और IV
 - II, III और IV
 - I, III और IV
24. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में पीड़ितों के उपचार हेतु अपराध विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 से जोड़े गए हैं
- धारा 395
 - धारा 396
 - धारा 397
 - धारा 398
25. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 396 को अन्तःस्थापित किया गया था आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम
- 2009 के 5 अधिनियम द्वारा
 - 2006 के 2 अधिनियम द्वारा
 - 2010 के 41 अधिनियम द्वारा
 - उपरोक्त किसी द्वारा नहीं
26. निम्नलिखित में से कौन सी सज़ा अपीलीय है?
- एक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा सज़ा, जहां आरोपी ने दोषी होना स्वीकार किया है
 - 4 महीने की कारावास की सज़ा के साथ उच्च न्यायालय द्वारा क्षुद्र मामलों में सज़ा



- (c) 4 महीने की कारावास की सज़ा के साथ सेशन न्यायालय द्वारा क्षुद्र मामलों में सज़ा
(d) केवल एक सौ रुपए के जुर्माने के साथ प्रथम श्रेणी के एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित क्षुद्र मामलों की सज़ा
27. जब कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के अधीन पारित दण्डादेश के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 415 के अन्तर्गत अपील दाखिल की गई है तो, तो अपील का निपटारा होगा:
(a) ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 6 माह के भीतर।
(b) ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 3 माह के भीतर।
(c) ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 9 माह के भीतर।
(d) व्यक्तिगत अवधि के भीतर।
28. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपील के संक्षेपतः खारिज करने से सम्बन्धित है ?
(a) धारा 359 BNSS
(b) धारा 431 BNSS
(c) धारा 527 BNSS
(d) धारा 425 BNSS
29. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 436 के तहत कौन-सी अदालत संदर्भाधीन मामले पर विचार कर सकती है?
(a) उच्चतम न्यायालय
(b) विचारण न्यायालय
(c) सेशन न्यायालय
(d) उच्च न्यायालय
30. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति से सम्बन्धित है?
(a) धारा 436
(b) धारा 442
(c) धारा 440
(d) धारा 437
31. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किस प्रावधान के अनुसार 'उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है कि ऐसे निर्देश का खर्चा कौन देगा' ?
(a) धारा 437(1)
(b) धारा 437 (2)
(c) धारा 438 (2)
(d) धारा 438 (3)
32. जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है अन्तर्गत-
(a) धारा 478 BNSS
(b) धारा 480 BNSS
(c) धारा 482 BNSS
(d) धारा 483 BNSS
33. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है:
(a) मजिस्ट्रेट के न्यायालय को
(b) केवल उच्च न्यायालय को
(c) सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को
34. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 में अग्रिम जमानत निम्न किस प्रकार के अपराधों के लिये है?
(a) जमानतीय अपराधों के लिये
(b) अजमानतीय अपराधों के लिये
(c) दोनों (a) और (b) के लिये
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
35. जमानत हेतु अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंज्ञात होने की अपेक्षा से सम्बन्धित प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में प्रदान किये गये हैं।
(a) धारा 478 BNSS में
(b) धारा 479 BNSS में
(c) धारा 481 BNSS में
(d) धारा 480 BNSS में
36. निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
(a) उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण - धारा 519 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(b) उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति धारा 523 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(c) दोषमुक्ति की दशा में अपील - धारा 419 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(d) जाँच या विचारण को पुनः चालू करना - धारा 370 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
37. एक दाण्डिक कार्यवाही जो शमनीय नहीं है, अभिखंडित की जा सकती है:
(a) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा
(b) जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा
(c) उच्च न्यायालय द्वारा
(d) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
38. उच्च न्यायालय धारा 482(धारा 528 BNSS) के अधीन अन्तर्निहित शक्ति निम्नलिखित में से किन आधारों पर उपयोग कर सकता है ?
(a) विरलतम से विरल मामलों में
(b) एक्स डेबिटो जस्टिस
(c) न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने हेतु
(d) उपरोक्त सभी मामले
39. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बताती है कि सेशन न्यायालय में अपील की सुनवाई कैसे होती है ?
(a) धारा 422 BNSS
(b) धारा 421 BNSS
(c) धारा 337 BNSS
(d) धारा 344 BNSS
40. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की निम्नलिखित में कौन सी धारा अपीलीय न्यायालय की शक्तियों से सम्बन्धित है ?
(a) धारा 325 BNSS
(b) धारा 427 BNSS
(c) धारा 337 BNSS
(d) धारा 436 BNSS



All India Bar Examination XXII Practice Set

उत्तर कुंजी

Q. No.	Ans.	Q. No.	Ans.	Q. No.	Ans.	Q. No.	Ans.
1.	[d]	11.	[a]	21.	[a]	31.	[b]
2.	[b]	12.	[c]	22.	[d]	32.	[c]
3.	[c]	13.	[c]	23.	[d]	33.	[d]
4.	[c]	14.	[c]	24.	[c]	34.	[b]
5.	[d]	15.	[c]	25.	[a]	35.	[c]
6.	[b]	16.	[c]	26.	[c]	36.	[a]
7.	[a]	17.	[a]	27.	[a]	37.	[c]
8.	[a]	18.	[d]	28.	[d]	38.	[d]
9.	[c]	19.	[b]	29.	[d]	39.	[a]
10.	[d]	20.	[a]	30.	[b]	40.	[b]

AIBE 22 Guidance Program

(Live + Recorded)

This is a smart, Bare Acts-based program designed with a single-minded goal

Crack the AIBE (All India Bar Examination)



Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Enrol Now or visit
linkinglaws.classx.co.in



Scan this QR
Course Brochure

Live Classes

Recorded Classes

6 Months Validity

Study Material Access

Full Mock Test

Practice Test Series

www.LinkingLaws.com

(5)

JGP (Judiciary Guidance Program) - [Click Now to Enroll](#)

AGP (Advocacy Guidance Program) - [Click Now to Enroll](#)

AIBE Study Materials - [Click here to Buy now](#)

AIBE 22 Guidance Program - [Click Now to Enroll](#)



1. **Ans. [d]**
लिंकिंग प्रावधान: धारा 2(भ) (धारा 2(य) BNSS) L/w 238-250, 275, 277, 278 Cr.PCI (धारा 261-273, 310, 312, 313 BNSS)
2. **Ans. [b]**
लिंकिंग प्रावधान: - धारा 2(ठ) (धारा 2(ण) BNSS) L/w 2(ग), 41, 42-43, 149-151, 154-156, 359। (धारा 2(छ), 35, 39-40, 168-170, 173-175, 400 BNSS)
स्पष्टीकरण: Cr.PC की धारा 2 (ठ) (धारा 2(ण) BNSS) के अनुसार, असंज्ञेय अपराध का अर्थ है ऐसा अपराध जिसके लिए ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है।
3. **Ans. [c]**
लिंकिंग प्रावधान:-
 1. धारा 2(घ) [2(1)(ज) BNSS]- "परिवाद"।
 2. धारा 190(1)(क) [210(1)(क) BNSS]- परिवाद प्राप्त होने पर संज्ञान।
 3. धारा 200-203 (223-226 BNSS)- मजिस्ट्रेटों से परिवाद।**स्पष्टीकरण:-** धारा 2(घ) [2(1)(ज) BNSS] "परिवाद" को परिभाषित करती है। इसका मतलब मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप में किया गया अभिकथन है। परिवाद मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से किया जाता है जिसने अपराध किया है। यहां यह व्यक्ति ज्ञात या अज्ञात हो सकता है। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।
4. **Ans. [c]**
Linked Provisions:-
लिंकिंग प्रावधान:-
 1. धारा 2(क) [2(1)(ग) BNSS]- "जमानतीय और अजमानतीय अपराध"।
 2. धारा 2(ग) [2(1)(छ) BNSS]- "संज्ञेय अपराध"।
 3. धारा 2(ठ) [2(1)(ण) BNSS]- "असंज्ञेय अपराध"।
 4. धारा 2(ढ) [2(1)(थ) BNSS]- "अपराध"।
 5. धारा 154 (173 BNSS)- संज्ञेय मामलों में इत्तिला।**स्पष्टीकरण:-** धारा 2(ग) [2(1)(छ) BNSS] संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के दोषी को गिरफ्तार कर सकता है और न्यायालय की अनुमति के बिना अन्वेषण शुरू कर सकता है।
5. **Ans. [d]**
लिंकिंग प्रावधान: धारा 25(3) परंतुक (धारा 19(3) परंतुक BNSS) L/w 24, 25क Cr.PCI (धारा 18, 20 BNSS)
6. **Ans. [b]**
लिंकिंग प्रावधान :- धारा 25 L/w 24 Cr.PC. (धारा 19 L/w 18 BNSS)
स्पष्टीकरण: धारा 24 (धारा 18 BNSS) - लोक अभियोजक।
धारा 25 (धारा 19 BNSS) - सहायक लोक अभियोजक।
धारा 26 (धारा 21 BNSS) - वे न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं।
धारा 29 (धारा 23 BNSS) - दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं।

AIBE BARE ACTS COMBO SET[©]

Comprehensive Study Package
Study Materials (Major & Minor Laws inc. other Study Material)

You can carry these Bare Act in Exam Hall for AIBE



Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com



Diglot Edition



English Edition

Link Provision

illustration Table

Amendment Analysis

Section Switching Table

Bracket Presentation

Key Words of Section

www.LinkingLaws.com





7. **Ans. [a]**
लिंकिंग प्रावधान: धारा 41 (धारा 35 BNSS) L/w 2(x), 151 Cr.PC (धारा 2(घ), 170 BNSS)
8. **Ans. [a]**
लिंकिंग प्रावधान:-
 1. धारा 53 (51 BNSS)- पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा।
 2. धारा 53क (52 BNSS)- बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा।
 3. धारा 54 (53 BNSS)- चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का परीक्षण
 4. धारा 161-163 (180-182 BNSS)- पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा।
 5. धारा 164क (184 BNSS)- बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा।
 6. धारा 27 IEA [23(2) परन्तुक BSA]- अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी।
 7. अनु.20(3) COI- आत्म-अभिशंसन के खिलाफ अधिकार।
स्पष्टीकरण:- सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त को नार्को परीक्षण के लिए स्वतंत्र रूप से सहमति देनी चाहिए और अभियुक्त पर जबरदस्ती या बल का कोई संकेत नहीं होना चाहिए। अभियुक्तों द्वारा दिए गए कथनों को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है और अभियोजन पक्ष अपना मामला पेश करने के लिए ऐसे कथनों पर भरोसा नहीं कर सकता है।
9. **Ans. [c]**
लिंकिंग प्रावधान:- धारा 109 (धारा 128 BNSS) L/w 108, 110, 145, 147, 478। (धारा 127, 129, 164, 166, 524 BNSS)
स्पष्टीकरण: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 109 (धारा 128 BNSS) कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए संदिग्ध व्यक्ति से सदाचार के लिए प्रतिभूति के रूप में एक बंधपत्र निष्पादित करने का अधिकार देती है।
10. **Ans. [d]**
लिंकिंग प्रावधान: धारा 106 L/w 9-12, 20, 107-110 Cr.PC (धारा 125 L/w 8-10, 14, 126-129 BNSS)
11. **Ans. [a]**
लिंकिंग प्रावधान:-
 1. धारा 125 (144 BNSS)- पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश।
 2. धारा 126 (145 BNSS)- प्रक्रिया।
 3. धारा 127 (146 BNSS)- भत्ते में परिवर्तन।
 4. धारा 128 (147 BNSS)- भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन।
स्पष्टीकरण:- धारा 125 (144 BNSS) पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश से संबंधित है। धारा 125(1) (144 BNSS) के अनुसार, निम्नलिखित व्यक्ति दावा कर सकते हैं और भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं-
 1) पत्नी अपने पति से,
 2) धर्मज या अधर्मज अवयस्क बच्चा अपने पिता से,
 3) धर्मज या अधर्मज अवयस्क बच्चा (शारीरिक या मानसिक असामान्यता) अपने पिता से, और
 4) पिता या माता अपने बेटे या बेटी से।
निर्णीत विधि:- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने एक पीड़ित तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिए जाने के पक्ष में फैसला सुनाया। तो, इस तरह, धारा 144 BNSS सभी पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
12. **Ans. [c]**
लिंकिंग प्रावधान:-
 1. धारा 125 (144 BNSS)- पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश।
 2. धारा 126 (145 BNSS)- प्रक्रिया।
 3. धारा 127 (146 BNSS)- भत्ते में परिवर्तन।
 4. धारा 128 (147 BNSS)- भरण-पोषण के आदेश का प्रवर्तन।
स्पष्टीकरण:- धारा 127 (146 BNSS) भत्ते में परिवर्तन से संबंधित है। यह मजिस्ट्रेट को भत्ते में परिवर्तन करने के लिए सशक्त बनाता है यदि, धारा 125 (144 BNSS) के तहत मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले या यथास्थिति, अपनी पत्नी, संतान, पिता या माता को भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए आदि किसी व्यक्ति की परिस्थितियाँ तब्दील हो जाती है।
13. **Ans. [c]**
लिंकिंग प्रावधान :- धारा 173(2) Cr.PC (धारा 193(2) BNSS)
स्पष्टीकरण: धारा 172 (धारा 192 BNSS)- पुलिस डायरी/केस डायरी
 धारा 173(2) (धारा 193(2) BNSS) - आरोप पत्र
 धारा 2(घ) (धारा 2(ज) BNSS) - परिवाद।
14. **Ans. [c]**



लिंकिंग प्रावधान :- धारा 167(2क) L/w 20-23, 411 Cr.PC (धारा 187(2क) L/w 14-17, 451 BNSS)

स्पष्टीकरण:- संहिता की धारा 167(2क) (धारा 187(2क) BNSS) अनुमति देती है कि एक व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 7 दिनों की अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है।

15. **Ans. [3]**

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 192 (धारा 212 BNSS) – मामलों को मजिस्ट्रेट को सौंपना।

2. धारा 323 (धारा 362 BNSS) – प्रक्रिया जब, जांच या विचारण शुरू होने के बाद, मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण:- संहिता की धारा 209 (धारा 232 BNSS) मजिस्ट्रेट द्वारा किसी मामले को सेशन न्यायालय में सौंपने से संबंधित है, जब अपराध विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हो। धारा में कहा गया है कि जब कोई आरोपी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है, तो उसे-

(क) धारा 207 या धारा 208 (धारा 230 या 231 BNSS) के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद प्रतिबद्ध हों

(ख) विचारण के दौरान और उसके समापन तक आरोपी को अभिरक्षा में भेजना;

(ग) उस न्यायालय को मामले का अभिलेख और दस्तावेज और लेख, यदि कोई हों, भेजें, जिन्हें साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना है;

(घ) सेशन न्यायालय को मामले की प्रतिबद्धता के बारे में लोक अभियोजक को सूचित करें।

16. **Ans. [c]**

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 2(ख) [2(1)(च) BNSS]- “आरोप”।

2. धारा 211 (234 BNSS)- आरोप की अन्तर्वस्तु।

3. धारा 220 (243 BNSS)- एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण।

4. आरोप के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान- धारा 212-219, 221-224 (235-242, 244-247 BNSS)।

स्पष्टीकरण:- धारा 211 (234 BNSS) आरोप की अन्तर्वस्तु से संबंधित है। धारा 211(1) के अनुसार, इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है।

धारा 220 (243 BNSS) एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण से संबंधित है। धारा 220(1) के अनुसार, यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों के, जिनसे एक ही संव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है।

17. **Ans. [a]**

लिंकिंग प्रावधान :-

1. धारा 209(धारा 232 BNSS) - सेशन न्यायालय द्वारा विचाराणी मामले का सुपुर्द।

2. धारा 323 (धारा 362 BNSS)- निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी समय मामले को सुपुर्द करना।

3. अध्याय 18 (धारा 225-237) (धारा 248-260 BNSS) - सेशन न्यायालय द्वारा विचारण प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण - धारा 193 (धारा 213 BNSS)- इस संहिता द्वारा या अन्य विधि में अभिव्यक्त उपबंधित के सिवाय सेशन न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

18. **Ans. [d]**

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 225-237 L/w 9, 10, 193, 194, 209, 408, 409 Cr.P.C. (धारा 248-260 L/w 8, 213, 214, 232, 448, 449 BNSS)

स्पष्टीकरण:- सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया धारा 225 से धारा 237 (धारा 248 to 260 BNSS) तक वर्णित है।

JUDICIARY GUIDANCE PROGRAM (JGP)

Live + Recorded Course

Complete Syllabus Coverage

Mock Test Series

SubjectWise Practice Set

Recorded Lectures

Practice & Revision Sessions

Expert Mentorship (Tansukh Sir)

Bilingual Classes



Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
ENROL NOW



ADVOCACY GUIDANCE PROGRAM (JGP)

Validity - 03 Months

Complete Syllabus Coverage

Civil Court Practice

Criminal Court Practice

Cyber Law Practice

Dual Mode Learning

Legal Personality Development

Structured 3 Volumes

is available
at **Linking App.**



Scan this QR
ENROL NOW





19. Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान :- Sec.259 L/w 2(w), 2(x), 251-258, 274, 275 Cr.P.C. (धारा 282 L/w 2(भ), 2(घ), 274-281, 309, 310 BNSS)

स्पष्टीकरण:- धारा 302 (धारा 339 BNSS) - अभियोजन जारी रखने की अनुमति

धारा 259 (धारा 282 BNSS) - समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति

धारा 301 (धारा 338 BNSS) - लोक अभियोजक की उपस्थिति

धारा 322 (धारा 361 BNSS) - मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं निपटाए जाने वाले में प्रक्रिया

20. Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 273 (धारा 308 BNSS)- साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना।

2. धारा 299 (धारा 335 BNSS)- अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख।

3. धारा 461 (धारा 507 BNSS)- वे अनियमितताएँ जो कार्यवाही को दूषित करती हैं।

स्पष्टीकरण- धारा 273 (धारा 308 BNSS)- विचारण और अन्य कार्यवाही में साक्ष्य अभियुक्त या उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा। यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जिसमें अभियुक्त को प्रतिरक्षा का अधिकार है।

21. Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 137 राज्य सरकार अवधारित कर सकेगी, उच्च न्यायालय से अधिनस्थ न्यायालय की भाषा और लिपि क्या होगी (CPC1908)।

2. भाग 17 (अनुच्छेद 343-351) अनुच्छेद 348(1)(a) - के अनुसार उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी।

3. अनुसूची 8 - राज भाषा की सूची।

(बिंदु 2-3, भारतीय संविधान)

स्पष्टीकरण - धारा 272 (धारा 307 BNSS)- राज्य सरकार अवधारित कर सकेगा की उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय के लिए संहिता के प्रयोजन के लिए कोनसी भाषा होगी।

22. Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 349 (धारा 388 BNSS)L/w 345(धारा 384 BNSS), 346(धारा 385 BNSS) CrPC।

स्पष्टीकरण- धारा 349 (धारा 388 BNSS) के अनुसार, यदि कोई साक्षी या व्यक्ति किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए बुलाया जाता है, तो वह अपने कब्जे या शक्ति में किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने से इनकार करता है, जिसे पेश करने के लिए अदालत की आवश्यकता होती है, और कोई उचित प्रस्ताव नहीं देता है तो न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उसे साधारण कारावास की सजा दे सकता है, या पीठासीन मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के आदेश के तहत उसे सात दिनों से अधिक की अवधि के लिए न्यायालय के एक अधिकारी की अभिरक्षा में भेज सकता है।

23. Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 195 (धारा 215 BNSS)- लोक सेवक के विधिसम्मत प्राधिकार की अवमानना के लिए अभियोजन।

स्पष्टीकरण:- CrPC की धारा 340(धारा 379 BNSS) का उद्देश्य पक्षकारों द्वारा किए गए आवेदन पर या अन्यथा यह पता लगाना है कि क्या न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाला कोई अपराध किसी कार्यवाही के संबंध में किया गया है या न्यायालय में पेश किए गए/साक्ष्य में दिए गए किसी भी दस्तावेज के संबंध में किया गया है और क्या ऐसी कार्रवाई करना न्याय के हित में भी समीचीन है।

24. Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 357g Cr.PC (धारा 397 BNSS)

स्पष्टीकरण: Cr.PC की धारा 357g (धारा 397 BNSS) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे लोक या निजी सभी अस्पतालों को IPC की धारा 326A, 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D 376DA, 376DB (धारा 124(1), 64-701 BNS) के तहत आने वाले किसी भी अपराध के पीड़ितों के लिए तुरंत प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा उपचार निःशुल्क प्रदान करना होगा।

धारा 357 (धारा 395 BNSS) - प्रतिकर देने का आदेश।

धारा 357क (धारा 396 BNSS)- पीड़ित प्रतिकर योजना।

धारा 357ख (धारा 396(7) BNSS)- प्रतिकर भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ (धारा 124(1) or 70 BNS) के तहत जुर्माने के अतिरिक्त होगा।

धारा 357ग (धारा 397 BNSS)- पीड़ितों का उपचार।

25. Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 357A (धारा 396 BNSS) L/w 357 (धारा 395 BNSS), 357B (धारा 396(7)BNSS), 357C (धारा 397 BNSS) CrPC.

स्पष्टीकरण- धारा 357A (396 BNSS) को 2009 में अधिनियम 5 (31/12/2009 से प्रभावी) द्वारा डाला गया था। यह पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित है। चार परिस्थितियों में 357A (396 BNSS) के तहत प्रतिकर दिया जा सकता है-

(i) दोषसिद्धि के मामले में,

(ii) दोषमुक्ति की स्थिति में,

(iii) जब अभियुक्त को उनमौचित कर दिया जाता है, और

(iv) जब अपराधी का न तो पता लगाया जाता है और न ही उसकी पहचान की जाती है।



26. Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान: धारा 376 (धारा 417 BNSS) L/w 206, 253, 374 Cr.PC। (धारा 229, 276, 415 BNSS)

नोट:- धारा 417 BNSS के अनुसार, जब उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को तीन महीने तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों की सजा सुनाता है, तो अपील की अनुमति नहीं होती है।

27. Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 373 (414 BNSS)- परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील।
2. धारा 374 (415 BNSS)- दोषसिद्धि से अपील।
3. धारा 378 (419 BNSS)- दोषमुक्ति की दशा में अपील।
4. धारा 379 (420 BNSS)- कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील।

स्पष्टीकरण:- धारा 374 (415 BNSS) दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील से संबंधित है। धारा 374(4) को 2018 के अधिनियम 22 द्वारा (21-4-2018 से) जोड़ा गया था, जो प्रावधान करता है कि यदि धारा 376-376B IPC (64-68, 70-71 BNS) के तहत पारित दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की जाती है तो ऐसी अपील के फाइल किये जाने की तारीख से छह माह की कालावधि के भीतर अपील का निपटान किया जाएगा।

28. Ans. [d]

स्पष्टीकरण - धारा 384 (धारा 425 BNSS) - अपील का संक्षिप्त: खारिज किया जाना - यदि धारा 382 या 383 (423 या 424 BNSS) के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय का यह विचार है की हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो अपील को संक्षेपतः खारिज कर सकता है।

29. Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान: धारा 395 (धारा 436 BNSS) L/w 396 Cr.PC (धारा 437 BNSS), 113, ओ.46 CPC।

स्पष्टीकरण:- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 436 के अनुसार, यदि किसी न्यायालय को ऐसा लगता है कि उसके सामने चल रहे किसी मामले में किसी विधि या उसके किसी प्रावधान की वैधता पर प्रश्न है, जिसका तय होना मामले के लिए ज़रूरी है, और न्यायालय की राय है कि वह विधि या प्रावधान अवैध है, तो वह अपनी राय और उसके कारण बताते हुए मामला उच्च न्यायालय को निर्णय के लिए भेजेगा, खासकर तब जब उच्च न्यायालय ने पहले ही ऐसा कोई निर्णय नहीं सुनाया हो।

30. Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 397-400, 402-405 (438-441, 443-445 BNSS)- पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रावधान।
2. धारा 401 (442 BNSS)- उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ।
3. धारा 115 CPC- पुनरीक्षण।

स्पष्टीकरण:- धारा 401 (442 BNSS) उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियों से संबंधित है। पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी निचले आपराधिक न्यायालय द्वारा दर्ज या पारित किए गए किसी भी निष्कर्ष, दंड या आदेश की शुद्धता, वैधता के सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। धारा 401 (442 BNSS) उच्च न्यायालय को धारा 386, 389, 390 और 391 (427, 430, 431, 432 BNSS) में उल्लिखित अपीलीय न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान करती है और यह उच्च न्यायालय को धारा 307 (344 BNSS) के अनुसार आरोपी व्यक्ति को क्षमादान का निर्देश देने का भी अधिकार देती है।

AIBE PAPERATHON®

Paperathon Booklet

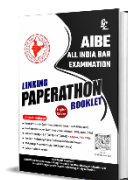
Topic-wise PYQ Analysis, Linked Provisions, Explanations & QR Video Solutions.

Covers all AIBE Exams [3rd(2012)-21st (2026)]

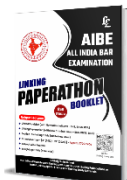


Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com



English Edition



Hindi Edition



Scan this QR
E-Study Material

Link Provision	[3rd (2012) - 21st (2026)]
Linking Explanation	Subject Wise Analysis
Weightage Analysis Table	Section- Switching Table

www.LinkingLaws.com





31. Ans [b]

लिंकिंग प्रावधान:- CPC की धारा 113 – निर्देश

स्पष्टीकरण:- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 396(2) (धारा 437 (2) BNSS) के अनुसार उच्च न्यायालय आदेश दे सकता है कि निर्देश का खर्च किसके द्वारा दिया जायेगा।

32. Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान :- धारा 438 L/w 2(a) Cr.PC (धारा 482 L/w 2(ग) BNSS)

स्पष्टीकरण:

धारा 436 (धारा 478 BNSS) - किन मामलों में जमानत ली जाए।

धारा 437 (धारा 480 BNSS) - अजमानतीय अपराध की दशा में जमानत कब ली जा सकती है।

धारा 438 (धारा 482 BNSS) - गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश।

धारा 439 (धारा 483 BNSS) - जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ।

33. Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 2(क) [2(1)(ग) BNSS]**- "जमानतीय और अजमानतीय अपराध"।

2. **धारा 40 (34 BNSS)**- ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य।

3. **धारा 43 (40 BNSS)**- प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया।

4. **धारा 50 (47 BNSS)**- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना।

5. **धारा 73 (75 BNSS)**- वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे।

6. **धारा 437 (480 BNSS)**- अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी।

7. **धारा 438 (482 BNSS)**- गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश।

स्पष्टीकरण:- धारा 438 (482 BNSS) गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के लिए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह धारा 438 (482 BNSS) में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अग्रिम जमानत का प्रावधान विवेकाधीन है, और न्यायालय अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद जमानत दे सकती है।

34. Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 2(क) [2(1)(ग) BNSS]**- "जमानतीय और अजमानतीय अपराध"।

2. **धारा 40 (34 BNSS)**- ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य।

3. **धारा 43 (40 BNSS)**- प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया।

4. **धारा 50 (47 BNSS)**- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना।

5. **धारा 73 (75 BNSS)**- वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे।

6. **धारा 437 (480 BNSS)**- अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी।

7. **धारा 438 (482 BNSS)**- गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश।

स्पष्टीकरण:- धारा (482 BNSS) गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के लिए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, वह धारा 438 (482 BNSS) में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अग्रिम जमानत का प्रावधान विवेकाधीन है, और न्यायालय अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद जमानत दे सकती है।

35. Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 437A(धारा 481 BNSS) CrPC

स्पष्टीकरण- धारा 437A (धारा 481 BNSS) को 2009 में डाला गया था। यह अभियुक्त को अगली अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील करने की आवश्यकता के लिए जमानत से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अपील के विचारण और निपटान के समापन से पहले, अपराध या अपीलीय न्यायालय की कोशिश करने वाले न्यायालय को अभियुक्त को जमानत के साथ जमानत बांड निष्पादित करने की आवश्यकता होगी, उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए।

36. Ans [a]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 468 (514 BNSS)**- परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन।

2. **धारा 473 (519 BNSS)**- कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण।

3. **धारा 5 परिसीमा अधिनियम** - विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण।

स्पष्टीकरण:- धारा 473 (519 BNSS) कुछ दशाओं में परिसीमा-काल के विस्तारण से संबंधित है। यह प्रावधान करती है कि, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल के अवसान के पश्चात् कर सकता है यदि मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से उसका समाधान हो जाता है कि विलम्ब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

37. Ans. [c]

(11)

JGP (Judiciary Guidance Program) - [Click Now to Enroll](#)

AIBE Study Materials – [Click here to Buy now](#)

AGP (Advocacy Guidance Program)- [Click Now to Enroll](#)

AIBE 22 Guidance Program- [Click Now to Enroll](#)



लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 320 (359 BNSS)- अपराधों का शमन।
2. धारा 482 (528 BNSS)- उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति।

स्पष्टीकरण:- धारा 320 (359 BNSS) अपराधों के शमन से संबंधित है। धारा 320(1) न्यायालय की अनुमति के बिना व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के शमन का प्रावधान करती है और धारा 320(2) न्यायालय की अनुमति के साथ व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के शमन का प्रावधान करती है।

निर्णीत विधि- नरेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2021) में, SC ने कहा कि उच्च न्यायालय, अपराध की प्रकृति और पक्षकारों के बीच विवाद के स्वेच्छिक निपटान को ध्यान में रखते हुए, CrPC की धारा 482 (528 BNSS) के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित कर सकते हैं, भले ही अपराध अशमनीय हों।

38. Ans. [d]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 482(धारा 528 BNSS) CrPC L/w 151 CPC अनुच्छेद 142 COI।

स्पष्टीकरण- धारा 482 (धारा 528 BNSS) उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

39. Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. धारा 372 (धारा 413 BNSS)- पीड़ित द्वारा अपील।
2. धारा 374 (धारा 415 BNSS)- दंडादेश के विरुद्ध अपील।
3. धारा 377 (धारा 376 BNSS)- राज्य द्वारा अपर्याप्त दंडादेश के विरुद्ध अपील।
4. धारा 378 (धारा 419 BNSS)- दोषमुक्ति के आदेश से अपील।

स्पष्टीकरण - धारा 381(धारा 422 BNSS)- सेशन न्यायालय में की गई अपील कैसे सुनी जाएगी- सेशन न्यायालय या न्यायधीश को की गई अपील सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायधीश द्वारा सुनी जायेगी।

40. Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. धारा 28/29(धारा 22/23 BNSS) - न्यायालय व मजिस्ट्रेट की दंड देने की शक्ति।
2. धारा 32(धारा 26 BNSS)- शक्तियां प्रदान करने का ढंग।
3. धारा 33(धारा 27 BNSS)- नियुक्त अधिकारी की शक्तियां।
4. धारा 33(धारा 27 BNSS)- शक्तियों का वापस लेना।
5. धारा 399(धारा 440 BNSS)- सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां।
6. धारा 401(धारा 442 BNSS)- उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियां।
7. धारा 406/407/408(धारा 446/447/448 BNSS)- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व सेशन न्यायालय की मामला या अपील अंतरण की शक्ति।

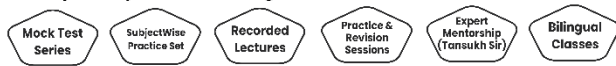
स्पष्टीकरण - धारा 386(धारा 427 BNSS)- अपील न्यायालय की शक्तियां - अपील न्यायालय अभिलेख के परिशीलन और यदि अपिलार्थी या प्लीडर हाजिर है तो उसे सुनने तथा लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे उसने के पश्चात तथा अभियुक्त हाजिर है तो उस सुनने के पश्चात अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकता है, या धारा 386 (a), (b), (c), (d) (e) के अधीन आदेश पारित कर सकेगा।

JUDICIARY GUIDANCE PROGRAM (JGP)

Live + Recorded Course



Complete Syllabus Coverage



Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
ENROL NOW

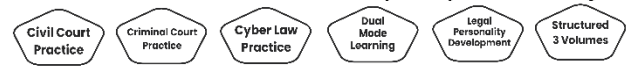


ADVOCACY GUIDANCE PROGRAM (JGP)

Validity - 03 Months



Complete Syllabus Coverage



is available
at **Linking App.**



Scan this QR
ENROL NOW

